Tele : 26189210
Fax : 2618 3227
Web: www.ncbc.nic.in

त्रिकूट-१, भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली - ११००६६
Trikoot-1, Bhikaji Cama Place,
New Delhi - 110066

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
Government of India
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
(A Constitutional body exercising powers of Civil Court under Article 338 'B' of the Constitution of India)

F. No. NCBC/06/08/35/2019-CP

Dated: 26.03.2021

To,

1. **The Chairman and General Manager,**
   East Central Railway Zone,
   New GM Building, Digit Kalan,
   Hajipur, Bihar-844101.
   (Email: gm@ecr.railnet.gov.in)

2. **The Chairman,**
   Bihar State Pollution Control Board,
   Parivesh Bhawan, Plot No. ns-b/2
   Paliputra Industrial Area,
   Patliputra, Patna (Bihar) - 800 010
   (Email: bspcb@yahoo.com)

3. **Principal Secretary,**
   Labour Resources Department
   Government of Bihar,
   Patna-Bihar.
   (Email: seclab-bih@nic.in)

4. **The Divisional Railway Manager,**
   East Central Railway Zone,
   DRM`s Office, Samastipur ,
   Dist.-Patna, Bihar
   (Email: drmspjecr@gmail.com)

Sub: Complaint of Mr. Naresh Sahni, District-Muzaffarpur, Bihar regarding the pollution emitting due to rack point situated at railway station causing illness and death to villagers of OBC Castes settled nearby.

Sir,

I am directed to refer to the hearing dated 12.03.2021 on the above mentioned subject and to forward herewith Minutes of the hearing along with the recommendation of NCBC for necessary action and furnish action taken report to this Commission at the earliest.

2. This issues with the approval of Hon'ble Chairman, NCBC.

Encl: As above

Yours faithfully,

M.M. Chattopadhyay

(Dr. M.M. Chattopadhyay)
Joint Director (Admin)

F.No. NCBC/06/08/35/2019-CP

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसंधान अनुभाग

सुनवाई के कार्यवृत

श्री नरेश साहनी द्वारा प्राप्त शिकायत में रेलवे रैक पॉइंट से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से आस पास रहने वाले लोगो के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष डॉ. भगवान लाल साहनी एवं श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 में दिनाँक 12.03.2021 समय 03: 00 बजे अपराह्न द्वितीय सुनवाई नियत की।

बैठक मे उपस्थित अधिकारी

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य
2. डॉ. सुधा यादव, माननीय सदस्य
3. श्री दिनेश कुमार, निजी सचिव मा. अध्यक्ष
4. डॉ. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी
5. श्री राहुल यादव, विधि सलाहकार

आयोग के समक्ष उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्री कृष्णकांत शर्मा, अधिवक्ता, (चेयरमैन एवं डी. आर. एम., समस्तीपुर की ओर से)
2. श्री वी. एस. आर. कृष्णा, स्पेशल काउंसिल (चेयरमैन एवं डी. आर. एम., समस्तीपुर की ओर से)
3. कु. नंदिनी ऐश्वर्या, अधिवक्ता (बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार सरकार की ओर से)
4. श्री कुमार दिग्विजय, जॉइंट लेबर कमिश्नर, रेसिडेंट कमिश्नर कार्यालय, बिहार भवन, दिल्ली

उपस्थित शिकायतकर्ता :-

1. श्री नरेश साहनी
2. श्री अनिल साहनी
3. श्री राम पूजन साहनी

सुनवाई के दौरान हुई चर्चा का विस्तृत विवरण:

श्री वी. एस. आर. कृष्णा, स्पेशल काउंसिल (चेयरमैन एवं डी. आर. एम., समस्तीपुर की ओर से): शिकायतकर्ता की शिकायत है कि रेलवे द्वारा हाई कोर्ट के आर्डर का पालन नहीं किया जा रहा है, तो मेरा यह कहना है कि यदि शिकायतकर्ता को इस संबंध में कोई शिकायत है तो क्योंकि माननीय हाईकोर्ट के समक्ष यह केस चल रहा है तो वह वहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल सकते हैं। हमें तो कोई समस्या नहीं है हम तो दोनों जगह जाकर अपना जवाब दे रहे हैं। कहीं यह ना हो कि हाईकोर्ट कोई आर्डर पास कर दे इससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हमने माननीय बिहार हाईकोर्ट ने भी हमने अपना जबाव जमा कर दिया है एवं उन्होंने एक अंतरिम आर्डर निकाल दिया है एवं वहां पर स्टोन चिप्स के भंडारण पर स्टे लगा दिया गया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: हम यहां पर कोई आर्डर पास नहीं कर रहे हैं। हम एक एडवाइजरी बॉडी हैं और हम यह देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से सरकारी संस्थाएं दबे कुचले लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर हम सरकार को समस्त आवश्यक कागजों के साथ में एडवाईस देंगे। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता आप बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से भेजे गये प्रतिउत्तर का बिंदु 3 हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए।

कु. नंदिनी ऐश्वर्या, अधिवक्ता (बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार सरकार की ओर से): जी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 18 जून 2018 को साईट का इंस्पेक्शन किया था जिसके अंतर्गत यह पता चला की शिकायतकर्ता की जो भी एलिगेशन है वह सत्य है एवं स्टोन चिप्स की अनलोडिंग की वजह से वायु प्रदूषण हो रहा था। इंस्पेक्शन के दौरान यह भी पता चला की जो भी एक्टिविटी वहां पर हो रही हैं उसमे पोलूशन मेंजर्स नहीं लिए जा रहे हैं एवं सबसे ज्यादा पोलूशन का कारण स्टोन चिप्स की अनलोडिंग थी। जिसकी वजह से धूल-मिट्टी के कण हवा में सेटल हो जा रहे थे एवं प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ रहा था।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: रेलवे विभाग ने आयोग को भेजे गए अपने जवाब में यह बताया है कि रेलवे महावल रेक पॉइंट पर रेगुलर पानी का छिड़काव होता है तथा पौधारोपण का कार्य भी नियमित रूप से जारी है तथा रेलवे विभाग के अनुसार किसी भी प्रकार की अनियमितता वहां पर नहीं बरती गई है। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री आलोक कुमार ने 14 अगस्त 2020 को भेजे

गए पत्र में आयोग को यह अवगत कराया है कि बोर्ड द्वारा महावल रेलवे स्टेशन का इंस्पेक्शन 07 अगस्त 2020 को करवाया गया था जिसमें निम्न तथ्य पाए गए थे।

1. शिकायत में चिन्हित रैक प्वाइंट का काम अभी आबाध रूप से जारी है।
2. स्टोन चिप्स की ट्रॉली अब भी वहां पर भरी एवं खाली की जा रही है जिससे काफी धूल व प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है।
3. स्टोन चिप्स को रेलवे के डिब्बों में से यथावत रूप से ट्रैक्टरों में भरा जा रहा है जिससे काफी प्रदूषण फैल रहा है।
4. माननीय उच्च न्यायालय पटना में भी रेलवे विभाग को 4 जुलाई 2019 को हुई सुनवाई में यह हिदायत दी थी कि वहां पर स्टोन चिप्स का भंडारण ना किया जाए।

इस हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिहार ने डिविजनल रेलवे मैनेजर समस्तीपुर पत्रांक संख्या 3431/09.09.2018 को लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उचित तरीके से पालन करवाया जाए जिसका जवाब रेलवे में 11.09.2019 को लगभग 1 साल बाद सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर समस्तीपुर के माध्यम से बोर्ड को भेजा गया था कि रैक पॉइंट पर किसी भी प्रकार का संग्रहण नहीं है और ना ही प्रदूषण फैल रहा है साथ ही रेलवे ने यह भी जवाब दिया था कि लोडिंग-अनलोडिंग यातायात का हिस्सा है जिसमें कि उच्च न्यायालय का निर्णय प्रभावित नहीं है। ऐसी कोई हिदायत माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा रेलवे को दी गई है क्या?

श्री वी. एस. आर. कृष्णा, स्पेशल काउंसिल (चेयरमैन एवं डी. आर. एम., समस्तीपुर की ओर से): जी, वहाँ पर स्टोन चिप्स के भंडारण पर स्टे लगा हुआ है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: अब आप लोगों को यह फैसला करना है कि वहां पर प्रदूषण फैलाना है अथवा नहीं फैलाना है। श्री प्रसन्न कुमार ने बिना कुछ देखे हुए शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं ।

श्री वी. एस. आर. कृष्णा, स्पेशल काउंसिल (चेयरमैन एवं डी. आर. एम., समस्तीपुर की ओर से): यदि उन्होंने एफिडेविट साइन किया है तो कोई गलत तो नहीं किया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: जब प्रदूषण विभाग कह रहा है कि वहां पर प्रदूषण हो रहा है।

श्री वी. एस. आर. कृष्णा, स्पेशल काउंसिल (चेयरमैन एवं डी. आर. एम., समस्तीपुर की ओर से): प्रदूषण विभाग की अपनी सोच है वह अपना सबमिशन दे सकते हैं किसी भी सबमिशन के लिए न तो वो हमें बाध्य कर सकतें है और न ही हम उन्हें। पोलूशन कंट्रोल बोर्ड, पोलूशन कंट्रोल एंड एनवायरनमेंट एक्ट के अंतर्गत कार्य करता है ,इनके पास भी अपने राइट है। यदि उनको लगता है कि कोई किसी जगह पर प्रदूषण फैला रहा है तो वह रोक सकते हैं। इंस्पेक्शन के बाद उन्होंने सरटेन रिकमेंडेशन दे दी, इसके बाद रेलवे ने 50000 रूपये जमा करके उनसे कंसेंट टू इस्टैब्लिशमेंट मांगा है। अब जब तक कंसेंट टू इस्टैब्लिशमेंट नहीं मिलेगा हम आगे काम नहीं कर सकते हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: यह कंसेंट टू इस्टैब्लिशमेंट क्या है?

श्री वी. एस. आर. कृष्णा, स्पेशल काउंसिल (चेयरमैन एवं डी. आर. एम., समस्तीपुर की ओर से): कंसेंट टू इस्टैब्लिशमेंट में यह देखा जाता है कि वहां पर प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है जैसे की पानी का छिड़काव, पौधारोपण हो रहा है या नहीं इत्यादि। जिसके लिए रेलवे ने 50000 रूपये जमा किए हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: अब तक कितने पौधे लगायें गये है?

श्री वी. एस. आर. कृष्णा, स्पेशल काउंसिल (चेयरमैन एवं डी. आर. एम., समस्तीपुर की ओर से): इसकी जानकारी तो नहीं है। यह सब देखना बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कार्य है वह सक्षम अथॉरिटी है इसके लिए यदि उनको लगता है कि कोई कमी है तो वह अपना विरोध दर्ज करेंगे। उनकें एक्ट में इंस्पेक्शन करने के बाद रेलवे को नोटिस देने का पॉवर हैं एवं इस्टैब्लिशमेंट को बंद भी कर सकतें है।

कु. नंदिनी ऐश्वर्या, अधिवक्ता (बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार सरकार की ओर से): हमने 10.03.2021 को जो नए आर्डर पास किये है उसमें 50 लाख की वी. जी. दायर करने के लिए बोला है ।

श्री वी. एस. आर. कृष्णा, स्पेशल काउंसिल (चेयरमैन एवं डी. आर. एम., समस्तीपुर की ओर से): वो तो हमे पता नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: आप सब लोग तो दिल्ली में रहतें है तो आपको क्या पता की वहाँ पर कितना प्रदूषण हो रहा है।

श्री वी. एस. आर. कृष्णा, स्पेशल काउंसिल (चेयरमैन एवं डी. आर. एम., समस्तीपुर की ओर से): ये लोग बंद करने को कह रहें है अब ऐसे कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं पायेगी। यह रास्ता देखना चाहिए की इसको कम कैसे किया जाए।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: आप मानवीय स्तर पर भी देखिए जो व्यक्ति मर रहा है वह तो यही कहेगा ना किस को बंद कर देना चाहिए।

श्री वी. एस. आर. कृष्णा, स्पेशल काउंसिल (चेयरमैन एवं डी. आर. एम., समस्तीपुर की ओर से): पर हम तो यह लाँ पर बात करेंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: आप लोग लाँ बात तो मत ही कीजिए, जब आप को पहले से ही पोलूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है कि वहां पर प्रदूषण हो रहा है आप उनकी एक भी बात नहीं मान रहे हैं।

श्री वी. एस. आर. कृष्णा, स्पेशल काउंसिल (चेयरमैन एवं डी. आर. एम., समस्तीपुर की ओर से): वहां की मुखिया ने लिखित रूप में कहा है कि यह सब बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है एवं अनएंप्लॉयमेंट हाई जा रहा है इसीलिए आप बंद मत कीजिए। इसीलिए इसको बंद करना कोई सोल्युशन नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: क्या यह सही है कि रेलवे चयन समिति और साक्षात्कार बोर्ड में आरक्षित वर्ग जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इत्यादि वर्ग से संबंधित सदस्यों को शामिल करने हेतु डीओपीटी द्वारा कार्यालय ज्ञापन/दिशानिर्देश जारी किया गया है, यदि हां, तो उक्त कार्यालय ज्ञापन/ दिशानिर्देश का अक्षरश: पालन किया जा रहा है?

श्री वी. एस. आर. कृष्णा, स्पेशल काउंसिल (चेयरमैन एवं डी. आर. एम., समस्तीपुर की ओर से): जी बिलकुल किया जा रहा होगा क्योंकि हमारे यहां पर अनुसूचित जाति/ जनजाति की जो यूनियन है वह बहुत ही पावरफुल है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: तो आप शपथ पत्र पर लिख कर दे सकते है कि उनके प्रतिनिधि के रूप में की वहां पर सभी नियमों का पालन किया जाता है।

श्री वी. एस. आर. कृष्णा, स्पेशल काउंसिल (चेयरमैन एवं डी. आर. एम., समस्तीपुर की ओर से): जी बिलकुल किया जा रहा होगा पर हम शपथ पत्र पर लिख कर नहीं दें सकतें है क्योंकि यह हमारा कार्यक्षेत्र नहीं है पर आप हवा में कुछ भी मत बोलिए। आप एलिगेशन बताइये।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: एक रिप्लाई आयोग को दिलवा दीजिए की आप लोगों ने अभी तक वहां पर कितना वृक्षारोपण किया है? इसके लिए आपको कितना समय लगेगा?

श्री वी. एस. आर. कृष्णा, स्पेशल काउंसिल (चेयरमैन एवं डी. आर. एम., समस्तीपुर की ओर से): कम से कम तीन सप्ताह का समय चाहिए होगा क्योंकि ये आकडें है, कही कुछ गलत न हो जाये।

शिकायतकर्ता: आप मुखिया की बात मानेंगे या 300 लोगों की बात मानेंगे। महोदय पिछली सुनवाई में यह पूंछा गया था की श्री रामदेव साहनी की मृत्यु कैसे हुई थी तो यह बताया गया है की वहां के कुछ स्थायी निवासियों से बात हुई है की उनकी मृत्यु सामान्य रूप से ही हुई थी परन्तु जब उन लोगों से बातचीत की गई की क्या आप लोगों ने इस प्रकार का कोई बयान दिया है तो उन लोगों ने स्पष्ट रूप से मना किया एवं यही बात उन्होंने शपथ पत्र पर भी लिखकर दी है (शपथ पत्र दिखाया गया)

श्री वी. एस. आर. कृष्णा, स्पेशल काउंसिल (चेयरमैन एवं डी. आर. एम., समस्तीपुर की ओर से): इस पर न तो आपकी बात मानी जाएगी और न ही उन लोगों की, इसके लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट्स है, डॉ. की मेडिकल रिपोर्ट है, नियमानुसार मेडिकल रिपोर्ट ही वैलिड होती है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: पोलूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो एडवाइजरी जारी की थी उस पर आपने क्या कार्यवाही की है?

श्री वी. एस. आर. कृष्णा, स्पेशल काउंसिल (चेयरमैन एवं डी. आर. एम., समस्तीपुर की ओर से): जी, वहां पर स्टोन चिप्स की लोडिंग एवं अनलोडिंग बंद कर दी गई है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: कल तक वहां पर स्टोन चिप्स की लोडिंग एवं अनलोडिंग की गई है।

श्री वी. एस. आर. कृष्णा, स्पेशल काउंसिल (चेयरमैन एवं डी. आर. एम., समस्तीपुर की ओर से): स्टोन चिप्स की लोडिंग एवं अनलोडिंग करने से पहले वहां पर पानी डाल दिया जाता है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: अगली सुनवाई में माननीय अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई हेतु बुलाया जाये।

समस्त पक्षों पर ध्यान पूर्वक चर्चा होने के पश्चात् श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य ने यह निर्णय लिया कि अगली सुनवाई में माननीय अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई हेतु बुलाया जाये।

दिनाँक:

स्थान: नई दिल्ली

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग